शासकीय कर्मचारियों के उपचार की प्रकिया के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:- [लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग]

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या शासकीय कर्मचारी शासकीय अस्पताल में निशुल्क उपचार का हकदार है ?	हाँ (म.प्र. सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 के नियम 4 (1) में प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी शासकीय चिकित्सालय में निशुल्क उपचार का हकदार होगा। यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल , बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
2.	राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की सूची क्या विभाग की वेबसाईट पर अपलोड है ?	हाँ (वर्तमान में 28 निजी संस्थाओं को मान्यता है। सूची विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है)
3.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु रैफरल की आवश्यकता होगी	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु रैफरल की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल., बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

Scanned by CamScanner

4.	राज्य के अंदर शासकीय चिकित्सालय में शासकीय सेवक एवं उनके सदस्यों के उपचार हेतु अनुमति की आवश्यकता होगी	नहीं (राज्य में संचालित शासकीय चिकित्सालय में उपचार कराने हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी) यथा– 1. प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सालय 2. प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कालेज 3. प्रदेश में भारत शासन द्वारा संचालित एम्स भोपाल, बी.एम.एच.आर.सी. भोपाल (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।
5.	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया क्या है ?	निजी चिकित्सालयों में रेफरल की प्रकिया राज्य के अंदर शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार कराने के लिये रैफरल हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा रेफरल किया जायेगा। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच / उपचार की सुविधायें हेतु रेफरल किया जायेगा जो जिला चिकित्सालय / शासकीय चिकित्सा महाविघालय में उपलब्ध नहीं होगी।
6.	फालोअप उपचार अनुमति किसके द्वारा प्रदान की जाती एवं कितने समय के लिये प्रदान की जाती है।	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को फालोअप उपचार अनुमति सिविल सर्जन सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा 6 माह के लिये प्रदान की जाती है।
7.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा अग्रिम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासकीय चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करे।

Scanned by CamScanner

8.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु चिकित्सा अग्रिम / अनुमति / फालोअप अनुमति वर्तमान व्यवस्था क्या है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जिला स्तर पर सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड को अधिकार दिये गये है। मेडिकल बोर्ड द्वारा केवल उन्हीं जांच / उपचार की सुविधायें हेतु निजी चिकित्सालय में रैफरल किया जायेगा जो शासकीय जिला चिकित्सालय / शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जांच / उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। (परिपत्र कमांक एफ 9–9 / 2013 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 26 / 08 / 2013) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। कृपया अवलोकन करें।
9.	निजी चिकित्सालयों (द्वारा शासकीय सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों) की मान्यता की प्रकिया	निजी चिकित्सालयों को शासकीय मान्यता हेतु आवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करना होता है। आवेदन फार्म http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है। उन्हीं निजी चिकित्सालयों को मान्यता दी जायेंगी जिन्हें National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) द्वारा अधि मान्यता दी गई हो। निजी चिकित्सालयों को मान्यता हेतु NABH को एक वर्ष में प्रमाणीकरण प्राप्त करना होगा।
10.	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के आकस्मिक उपचार हेतु क्या व्यवस्था है ?	राज्य के अंदर शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिये मान्यता प्राप्त संस्थाओ एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में उपचार करा सकते है। इस हेतु उपचार उपरांत उन्हें कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी इस विषय में म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग परिपत्र कमांक एफ 9–2 / 2006 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20 / 02 / 2006 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों एवं उनके आश्रित सदस्यों को राज्य के अंदर गठित प्राईवेट निजी चिकित्सा संस्थाओं में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है जो निजी संस्थाओं में उपचार उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते है। (परिपत्र कमांक 9–2 / 2006 / 17 / मेडि.–3 भोपाल दिनांक 20 / 02 / 2006) विभाग की वेबसाईट http://www.health.mp.gov.in/ पर अपलोड है।

Scanned by CamScanner